राजस्व लोक अदालत केम्प आसाडा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 113/2018

वादीगण :– 1 नारणाराम वल्द कोजाराम चौधरी निवासी आसाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. तहसीलदार पचपदरा जरिये

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–13.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आसाडा प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम आसाडा के ख0 न0 2564/299 रकबा 5.08 बीघा व ख0न0 2565/299 रकबा 3.12 बीघा के उक्त आरजी मे जरिये बेचानदस्तावेज खरीदशुदा है। राजस्व रेकर्ड नाम दर्ज करते समय लिपिकीय भूल से वादी का नाम नारणाराम पुत्र कोजाराम की बजाय रामनारायण पुत्र कोजाराम दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम रामनारायण की जगह शुद्व नाम नारणाराम पुत्र कोजाराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह, ब्यानकर्ता नारणाराम, रामप्रकाश, सरपंच ग्राम पंचायत आसाडा के गवाह ब्यान व पटवारी आसाडा/आर.आई जसोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम आसाडा के ख0 न0 2564/299 रकबा 5.08 बीघा व ख0न0 2565/299 रकबा 3.12 बीघा में वादी का अशुद्व नाम रामनारायण पुत्र कोजाराम की जगह शुद्व नाम नारणाराम करने की सिफारिश की है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादी रामनारायण पुत्र कोजाराम की जगह शुद्व नाम नारणाराम पुत्र कोजाराम नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प आसाडा

Scanned by CamScanner